कार्यालय – जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जनपद– उत्तरकाशी

पत्रांक /　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक –

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

दिनांक 07-02-18 को जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाव में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Damta to Barnigad (Total Length-23.730 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.7119 है0 वन भूमि को उपयोग लाये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.7119 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** को प्रत्यावर्तित/लीज पर दिये जाने सम्बन्धित ग्राम सभा /ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड़ समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत् प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी उत्तरकाशी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.7119 है0 आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के नौगाव रेंज के अन्र्तगत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है। उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

(अनिलसिंह रावत)	( )	( )
जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी
जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	Divisional Forest Officer Upper Yamuna Forest Division Barkot (Uttarkashi)	प्रतिहस्ताक्षर जिलाधिकारी

प0सं0../................................./दिनांक

प्रतिलिपि – ....

को सूचनार्थ एंव आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।